न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 455/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/423)

मनराज पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी झौंपडा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर।

..............अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदा चौथ का बरवाडा।

...............रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर स0मा0 मु0नं0 56/20 मनराज बनाम सरकार निर्णय दिनांक 23.2.2021 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री हरिमोहन जाट वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 07.05.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 23.2.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने आदेश दिनांक 6.8.2020 से अपीलान्ट को सम्वत 2077 में आराजी खसरा नम्बर 827/2789 के रकबा 0.15 किस्म चाही–3 सिवायचक वाकै ग्राम झौंपडा तहसील चौथ का बरवाडा पर मकान बनाकर तथा मूंगफली की फसल बोने का अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है तथा पाश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर 90 दिन के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसकी अपील तहत अदालत जिला कलक्टर स0मा0 के समक्ष की गई। जिला कलक्टर स0मा0 द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2021 पारित कर अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक इस शर्त पर स्वीकार की गई कि वर्तमान में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं हो तो आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त समझा जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो आदेश जैर अपील से दी गई सजा यथावत रहेगी। शेष बेदखली व वसूली बाबत पारित आदेश यथावत रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। लिहाजा वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाई

7.5.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 827/2789 रकबा 0.15 है0 किस्म सिवायचक बाके ग्राम झौंपडा पर अपीलान्ट का न तो रिपोर्ट किये जाने के वर्ष में कोई कब्जा था और न ही पूर्व के वर्षों में कभी कब्जाकाश्त रहा है। इसके बाबजूद नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई झूठी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2020 के द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखली व शास्ती आरोपित किये जाने के दण्ड के साथ-साथ पश्चातवर्ती अतिचार मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत की ओर से जारी नोटिस की अपीलान्ट को पर्याप्त तामील नही होने के कारण अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज मातहत पत्रावली में उपलब्ध नहीं होने के बाबजूद अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि माननीय राजस्व मण्डल का यह निर्णय है कि जब तक अतिक्रमी को मौके पर जाकर भौतिक रूप से विवादित भूमि से बेदखल नहीं कर दिया जाता तब तक सिविल कारावास की सजा से दण्डित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने व भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत् किसी प्रकार के कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान नहीं लिये गये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना पूर्व मुद्रित निर्णय के प्रारूप में न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निर्णय की परिभाषा में नही आता है। इस आधार पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2020 निरस्तनीय होने के बाबजूद भी अदालत मातहत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी उपरोक्त बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलान्ट की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया है जो कि नियम विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया है कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा मौके पर जाकर कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गई तथा दिनांक 29.06.2021 को कब्जे संबंधी रिपोर्ट बनाते समय पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट को न तो मौके पर बुलाया गया और न ही इस बारे में कोई पूर्व सूचना ही दी गई। अपीलार्थी के पिता रामनिवास की विवादित खसरा नंबर के पास खसरा नंबर 601 व 602 की खातेदारी भूमि है। इस भूमि के पास विवादित भूमि स्थित है। बिना सीमाज्ञान किये पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट विवादित भूमि के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर दी जबकि अपीलान्ट ने अपने पिता की खातेदारी भूमि में फलदार पौधे लगाकर बाउन्ड्री बॉल बनायी हुई है जिसमे परिवार सहित निवास करता है। अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि

7.5.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पर किसी तरह का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार ने पटवारी हल्का के भी पूर्व मुद्रित प्रारूप में बयान लिये हैं। इन बयानों में जिरह का अवसर अपीलान्ट को नहीं दिया गया है। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इन तथ्यों पर गौर नहीं किया। इस आधार पर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 व कब्जा रिपोर्ट संबंधी जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही हो सकी। बाद में कोरोना महामारी फैंलने के कारण प्रार्थी अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। जब दिनांक 09.08.2021 को पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर अपीलान्ट के गांव पहुची तब अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त होने पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होते ही अन्दर मियाद अदालत हाजा में अपील पेश की गयी है तथा अपील पेश करने में हुये बिलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका रैस्पों0 की ओर से न तो कोई जबाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से जानकारी रही हो। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर स्वीकार की जावें तथा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 23.02.2021 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को समाप्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में दिनांक 26.08.21 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निस्तारित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील बिलम्ब से पेश किये जाने के संबंध में मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधी निर्णय दिनांक 23.02.2021 व कब्जा रिपोर्ट के संबंध में पूर्व में जानकारी नही होने तथा दिनांक 09.08.21 को पुलिस की ओर से गिरफ्तारी बारंट लेकर उपस्थित होने पर अपीलाधीन निर्णय के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय की नकल हेतु आवेदन किये जाने पर दिनांक 12.08.2021 को नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश किये जाने का उल्लेख किया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया है। जिसका रैस्पों0 की ओर से न तो कोइ जबाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक की पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। वैसे भी माननीय राज0 उच्च न्यायायल व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दुओं पर उदार रूख रखना चाहिये तथा अपील को तकनीकी बिन्दु पर खारिज किये जाने से बचना चाहिये। अतः इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को मियाद संबंधी बिन्दु पर खारिज किये जाने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत उक्त अपील दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो उपरोक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा सम्वत 2077 में तहसीलदार चौथ का बरवाडा को ग्राम झौंपडा खसरा नंबर 827/2789 रकबा 2 है0 के 0.15 है0 भूमि पर मकान, मूंगफली व मक्का बोने की रिपोर्ट तथा पश्चातवर्ती अतिचारी होने का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा अपीलान्ट को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी कर दिनांक 06.08.2020 को उनके न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गयी। उक्त नोटिस की अपीलान्ट पर असालतन तामील होने के पुष्टि अदालत मातहत की पत्रावली से हो रही है।दिनांक 06.08.2020 को नायब तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये जिसमें अपीलान्ट का विवादित खसरा नंबर 827/2789 में सम्वत 2076 में अतिक्रमण होने के साथ–साथ रिपोर्ट किये जाने के वर्ष सम्वत 2077 में भी पुनः अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया गया है। नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने पटवारी हल्का की ओर से दिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट को विवादित खसरा नंबर 827/2789 रकबा 0. 15 है0 पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर विवादित भूमि से बेदखल किये जाने, लगान की 50 गुना शास्ती लगाकर अर्थदण्ड से दण्डित करने व 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश दिया है।

नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.2020 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.21 पारित किया है। उक्त निर्णय में यह माना है कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवारी हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर नहीं की जा सकती है क्योंकि पत्रावली पर अपीलान्ट को उपरोक्त भूमि पर से पूर्व में बेदखल किये जाने एवं पश्चातवर्ती अतिचारी से संबंधित दस्तावेज तथा पूर्व में पारित निर्णयों से संबंधित कोई दस्तावेजात रिकार्ड पर नहीं लिया गया

7.5.2024
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को सिविल कारावास की सजा तक सशर्त स्वीकार किया जाना उचित मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को इस शर्त पर स्वीकार किये जाने का आदेश दिया गया है कि वर्तमान में अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नही हो तो आदेश जेरअपील सजा की सीमा तक निरस्त समझा जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो आदेश जेरअपील से दी गई सजा यथावत रहेगी। जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश की पालना में नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक भगवतगढ को लिखा गया जिसकी पालना में भू अभिलेख निरीक्षक भगवतगढ ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा को दिनांक 29.06.21 को रिपोर्ट भिजवायी गयी जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि ग्राम झौंपडा के खसरा नम्बर 827/2789 किस्म सिवायचक पर श्री मनराज पुत्र रामनिवास मीना द्वारा सम्वत 2077 के फसल रबी में रजका/मकान बाउन्ड्री कर झौपडा से भगवतगढ मैनरोड पर बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण यथावत दिया हुआ है जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दी गई है। मिसल नम्बर 281 निर्णय दिनांक 18.03.21 में 0.15 है0 पर यथावत आज दिनांक तक भी फलदार पौधे व बाउन्ड्री व पुख्ता मकान बनाकर रहवास किया हुआ है। अर्थात् भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा यथावत होने की पुष्टि की है।

अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 23.02.2021 तथा भू–अभिलेख निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.21 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। चूंकि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर देते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.20 में पारित की गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ स्वीकार किया था यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा नही हो तो आदेश जेरअपील सजा की सीमा तक निरस्त समझा जावे एवं यदि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर कब्जा यथावत पाया जावे तो आदेश जेरअपील से दी गई सजा यथावत रहेगी। जिला कलक्टर का उपरोक्त आदेश प्राप्त होने के बाद नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने भू–अभिलेख निरीक्षक भगवतगढ से विवादित भूमि के संबंध में विधिवत मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद दिनांक 29.06.21 को पुनःअपीलान्ट के विरूद्ध गिरफ्तारी बारंट जारी किये जाने का आदेश दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध सम्वत 2077 में ही विवादित खसरा नम्बर 827/2789 रकबा 2 है0 के 0.15 है0 भूमि में एक बार मकान सहित मूंगफली व मक्का बोकर अतिक्रमण किये जाने व दूसरी बार मकान सहित रजका बोकर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट की गयी है जिसकी पुष्टि अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भलीभांति हो रही है। अपीलान्ट का यह कथन कि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने से पूर्व उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया तो यह कथन इसलिए मानने योग्य नही है क्योंकि स्वयं अपीलान्ट ने जिला कलक्टर सवाई माधोपुर न्यायालय में प्रस्तुत अपील में विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में दिनांक 20.02.21 को शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का स्वयं का यह दायित्व था कि वह विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में अदालत मातहत में दस्तावेज प्रस्तुत करता। उपरोक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की पत्रावली में संलग्न भू अभिलेख निरीक्षक की मौका रिपोर्ट दिनांक 29.06.2021 से यह भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर फलदार पौधे व बाउन्ड्री व पुख्ता मकान बनाकर रहवास किया हुआ है। उक्त रिपोर्ट में ही जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.21 के पश्चात भी अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण मिसिल नम्बर 281 में निर्णय दिनांक 18.03.21 पारित किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण यथावत है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.02.21 जिसके द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.20 में पारित की गयी सिविल कारावास की सजा को सशर्त निरस्त किया गया था, में हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नजर नही आता है क्योंकि नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.21 के बाद विवादित भूमि के संबंध में भू अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण यथावत पाये जाने के बाद पुनः गिरफ्तारी वारंट दिनांक 29.06.21 को जारी किया गया है जो कि उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की ओर से पारित निर्णय दिनांक 06.08.20 के विरूद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 में सिविल कारावास की सजा को सशर्त निरस्त किये जाने के आदेश को यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर